

राजस्थान राजपत्र दिनांक 14-10-11 में प्रकाशित है। पृष्ठ 8

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.4(184)खान/ग्रुप-2/85

जयपुर, दिनांक : 12 OCT 2011

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 नवम्बर, 2010, जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 9 नवम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई, के क्रम में खनिज सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का ब्लॉक 4जी-1। नि.ग्रा. टाडास तहसील खोमसर जिला नागौर तथा ब्लॉक 4जी-1। नि.ग्रा. टाडास तहसील खोमसर जिला नागौर जिनका विवरण नीचे दिया गया है, वृहद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए खनिज सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के खनन पट्टा अनुदान हेतु एतद्वारा स्वीकारण को सूचित करते हुए दिनांक 21.11.2011 से निम्नलिखित शर्तों पर रिक्त घोषित किये जाते हैं :-

1. खनिज रियायती नियमावली, 1960 के नियम 59(1) के अन्तर्गत खनन पट्टा हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2011 से दिनांक 20.12.2011 तक कार्यालय खनि अभियंता, नागौर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. उक्त दोनों ब्लॉकों के लिए दिनांक 21.11.2011 से दिनांक 20.12.2011 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को ही दिन में प्राप्त माना जायेगा तथा इनका निस्तारण एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(3) सपटित धारा 11(4) के अन्तर्गत किया जायेगा। दिनांक 21.11.2011 से पूर्व के प्राप्त सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे।
3. आवेदक को ब्लॉक में उपलब्ध खनिज सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों के आधार पर एक बड़ा सीमेंट संयंत्र खनन पट्टा स्वीकृति के संविदा निष्पादन की तिथि से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि में स्थापित करना होगा। ब्लॉक 4जी-1 के संबंध में सीमेंट संयंत्र न्यूनतम वार्षिक क्षमता 2 मेट्रिक मिलियन टन तथा ब्लॉक 4जी-1। के संबंध में सीमेंट संयंत्र न्यूनतम वार्षिक क्षमता 3 मेट्रिक मिलियन टन सीमेंट उत्पादन प्रतिवर्ष होगी।
4. निर्धारित अवधि में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की पुष्टि हेतु इस विभाग के आदेश दिनांक 04.11.2010 के अनुसार कीननेस मनी 2 करोड़ रुपये X मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता X सीमेंट संयंत्र की स्थापना में लगाने वाला समय वर्षों में, की दर से भंशा पत्र (एल.ओ.आई.) की स्टेज पर बैंक गारंटी के रूप में तथा खनन पट्टा स्वीकृति पर संविदा निष्पादन से पूर्व एफ.डी.आर. के रूप में खनि अभियंता, नागौर के कार्यालय में जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित नहीं करने पर कीननेस मनी जब्त कर ली जायेगी तथा खनन पट्टा खण्डित कर दिया जायेगा। सीमेंट बनाने के लिए राज्य में उत्पादित लिग्नाइट खनिज का उपयोग उपलब्धता अनुसार किया जायेगा।
5. उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्वक्षय हेतु जो भी धनराशि व्यय की हुई है, उसे खनन पट्टा स्वीकृति होने पर आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराना होगा।

SME-II

AD(6)

6. यदि क्षेत्र में एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन निकलता है तो वह आरएसएमएम लि. के माध्यम से स्टील प्लांटों को नियमानुसार रायल्टी भुगतान कर निर्गमित किया जायेगा।
7. उपरोक्त रिक्त घोषित किये जा रहे क्षेत्रों की विवरण सूची के अनुसार ही आवेदन पत्र आवेदित किये जाकर स्वीकृत किये जायेंगे। इन क्षेत्रों के नक्शे एवं विवरण सूची अधीक्षण भू-वैज्ञानिक, जोधपुर, खनि अभियंता, नागौर एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर में देखे जा सकते हैं।

क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण सूची ब्लाक 4जी-। नि.ग्रा. टाडांस तहसील खीमसर

जिला नागौर टोपोशीट नं. 45 एफ./5

एफ.आर.पी.: टी.आई.333 जी.टी.शीट 45 E/12 में

सं	तक	बियरिंग	दूरी (मीटर में)
FRP TI-333	A	87°00'	2200
A	B	180°00'	17500
B	e	270°00'	1300
e	h	360°00'	2500
h	g	270°00'	5000
g	f	180°00'	2500
f	c	270°00'	7700
c	1	360°00'	4800
1	2	360°00'	2100
2	3	90°00'	1400
3	4	360°00'	1800
4	5	90°00'	1300
5	6	180°00'	5500
6	7	270°00'	1100
7	8	360°00'	1600
8	1	270°00'	1600
कुल क्षेत्रफल - 9.77 वर्ग कि०मी०			

विवरण नूची ब्लाक 4जी-11 नि.ग्रा. टाडास तहसील खीमसर

जिला नागौर टोपोशीट न. 45 एफ./5

एफ.आर.पी.: टी.आई.333 जी.टी.शीट 45 E/12 में

से	तक	बियरिंग	दूरी (मीटर में)
FRP TI-333	A	87°00'	2200
A	B	180°00'	17500
B	e	270°00'	1300
e	h	360°00'	2500
h	g	270°00'	5000
g	f	180°00'	2500
f	c	270°00'	7700
c	1	360°00'	4800
1	2	360°00'	2100
2	3	90°00'	1400
3	4	360°00'	1800
4	5	90°00'	1300
5	6	180°00'	5500
6	9	360°00'	3000
9	10	90°00'	600
10	11	360°00'	2500
11	12	90°00'	1000
12	13	360°00'	1400
13	14	90°00'	1000
14	15	180°00'	2800
15	16	270°00'	900
16	17	360°00'	1000
17	18	270°00'	500
18	19	180°00'	3400
19	20	90°00'	1400
20	21	180°00'	1300
21	22	270°00'	1000
22	23	180°00'	400
23	6	270°00'	1600
कुल क्षेत्रफल - 9.94 वर्ग कि०मी०			

आज्ञा से,

(शिव कुमार अग्रवाल)
शासन उप सचिव